मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ठाणे, पालघर, राजस्थान, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, रायबरेली, प्रतापगढ़, आजमगढ़, अहमदाबाद, मेरठ में वितरित

मेट्रो दिनांक

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

महाराष्ट्र सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

वर्ष : ०९ अंक :१८ मुंबई, शुक्रवार ८ फरवरी से १४ फरवरी २०१९ पृष्ठ : ४ कीमत : दो रुपये

यू.पी. से अगवा भाई - बहन की बहादुरी

अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर पहुंचे मुंबई

मेट्रो दिनांक संवाददाता

मुंबई, यूपी में लखनऊ के निकट एक गांव की रहने वाली १९ वर्षीय कोमल पांडेय और १६ वर्षीय विकास पांडेय उन खुशनसीब लोगों में से हैं, जो अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर किसी तरह मुंबई पहुंचे। बड़ी खोजबीन के बाद बुधवार देर रात दोनों जन गोरेगांव स्टेशन पर मिल पाए। फैजुल्ला गंज से अपहृत हुए दोनों भाई-बहन को अपनी सलामती पर अब भी यकीन नहीं हो रहा है।

कोमल ने यह त्रासद दास्तां कुछ इस तरह बयां की : लखनऊ से सटे अपने मकान से निकलते समय मैंने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा मेरे और साथ यात्रा कर रहे छोटे भाई विकास के लिए एक डरावने हादसे में बदल जाएगी। मैं यूपी के बख्शी का तालाब तहसील के मडियांव कस्बे के जानकीपुरम विस्तार में पिता रमेश पांडेय और भाई विकास पांडेय के साथ रहती हूं। वह २ फरवरी का दिन था, हम दोनों भाई-बहन १० किलोमीटर दूर फैजुल्लागंज निवासी चाचा राजेश पांडेय के घर पहुंचे थे। वहां एक दिन रहने के बाद ४ फरवरी को मैं भाई के साथ घर जाने के लिए निकली थी। घर के बाहर एक ऑटोवाला मिला। ऑटो में एक संदेहास्पद व्यक्ति बैठा था।

जिसने चेहरे पर अंगोछा लपेट रखा था। उसने कुछ देर बाद रूमाल निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद ही मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं और मेरा भाई कितनी देर बेहोश रहे, इसका मुझे कोई अनुमान नहीं। आंखें खुलीं तो हम ट्रेन में थे और गाड़ी 'बीना' नामक स्टेशन पर पहुंची थी। कुछ होश आया, तो मेरे पास २१ साल और २५ साल की दो अन्य लड़कियां बैठी थीं। इनसे जानकारी मिली कि ये लोग अपहरणकर्ता हैं। हमारी तरह ही तुम दोनों भी किडनैप हो चुके हो। बोरीवली जीआरपी के साथ अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आई कोमल पांडेय और विकास पांडेय भाग रहे हैं, तुम भी भागो। उन्होंने सचेत किया कि कुल पांच अपहरणकर्ता हैं और तीन गाड़ी से नीचे उतरे हैं। बेहोशी की हालत में मैंने भाई को किसी तरह जगाया। अपहरणकर्ता ऊंघ रहे थे और उनमें से एक की जेब में मेरा मोबाइल था। मैंने हिम्मत दिखाई और उसकी जेब से अपना मोबाइल निकाला। 'बीना' स्टेशन से इस ट्रेन जाने के बाद एक ट्रेन आई, जिसमें अर्द्धबेहोशी की हालत में विकास को लेकर मैं उस अनजान ट्रेन में चढ़ गई। हम दोनों भाई-बहन ट्रेन की शौचालय में घुस गए और खुद को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया। लंबी यात्रा के बाद पता चला कि हम मुंबई पहुंच चुके हैं। ६ बजे सीएसएमटी आने के बाद मैंने एक अनजान युवक से पावर बैंक लेकर पहले मोबाइल चार्ज किया और उसके बाद मौसेरे भाई सौरव शुक्ला को कॉल कर पूरी दास्तां सुनाई। इस बीच सीएसएमटी पर एक युवक ने मालाड से यूपी जाने वाली ट्रेन मिलने की बात बताई, तो हम दोनों मालाड पहुंच गए। ११ बजे हम-दोनों मालाड से गोरेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर पहुंचे, जहां पुलिसकर्मी आए और स्टेशन मास्टर के केबिन में लेकर गए।

सभी पुलिस स्टेशन करेंगे जांच

फर्जी जमानतदार केस में बनी SIT

दीनानाथ तिवारी

मुंबई : फर्जी जमानतदार केस की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने एसआईटी बनाई है। अभी तक इस केस की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट-वन कर रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एसीपी भूषण राणे को इस एसआईटी का चीफ बनाया गया है। अब तय किया गया है कि मुंबई के सभी १२ जोन में स्थित हर क्राइम ब्रांच यूनिट से एक-एक अधिकारी व तीन-तीन सिपाहियों को इस एसआईटी में रखा जाएगा। ये सभी लोग मुंबई में सभी कोर्ट में जाएंगे और वहां जमानत मिले आरोपियों के जमानतदारों से जुड़े सभी कागजात देखेंगे। दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर जमानतदारों और आरोपियों के बारे में जानकारी निकालेंगे और जिस पुलिस स्टेशन से जुड़े केस होंगे, उन पुलिस स्टेशनों को और संबंधित कोर्ट को इस बारे में सूचित करेंगे।

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, यह रैकेट बहुत बड़ा है, इसलिए इस केस की जांच सिर्फ एक यूनिट या चंद अधिकारी नहीं कर सकते। इसीलिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी के साथ सभी पुलिस स्टेशनों को इस केस की जांच करने को कहा गया है। अभी तक पांच एफआईआर का इनवेस्टिगेशन यूनिट वन के जिम्मे है, जबकि तीन एफआईआर की जांच बोरिवली और कुर्ला पुलिस कर रही है। इन केसों में कुल २८ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आने वाले महीनों में कई दर्जन या कई सौ गिरफ्तारियां और हो सकती हैं।

स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडीस का स्मारक बनाओ

सांसद गोपाल शेट्टी ने कि सीएम और मेयर से मांग

मुंबई : उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर से मांग की है कि स्वर्गीय फर्नांडीस की स्मृति में मुंबई के कामगार मैदान में उनका स्मारक स्थल बनाया जाए। उन्होंने इस मांग का ज्ञापन सीएम और मेयर को सौंपा है। शेट्टी

द्वारा लिखे गए पत्र में उन्होंने स्वर्गीय नेता जॉर्ज फर्नांडीस के देहांत पर शोक व्यक्त किया गया। वे कहते हैं, 'स्वर्गीय नेता जॉर्ज फर्नांडीस ने देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके है। जॉर्ज फर्नांडीस का व्यक्तित्व असामान्य था।जॉर्ज फर्नांडीसजी ने आम लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया। एक मजबूत ट्रेड युनियन लीडर के तौर पर वह जाने जाते थे। इस मज़दूरों के लिए संघर्ष छेडनेवाले इस नेता ने छोटे व्यापारियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने

१९५० में मुंबई श्रमिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कि। उन्होंने कामगारों के लिए युनियन की स्थापना की, इसी युनियन के तहत, जॉर्ज फर्नांडिस ने रास्ते के फेरीवालों के लिए संघर्ष खड़ा किया। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कोका-कोला आदि को चुनौती दी। आम टैक्सिचालकों साथ सरकारी मजदुरों का भी भरोसा अर्जित किया। इस तरह के एक अद्वितीय व्यक्तित्व के उचित सम्मान के लिए, 'जॉर्ज फर्नांडिस कि याद में एक स्मृतीस्थल' मुंबई के परेल स्थित कामगार मैदान में बनाया जाना चाहिए। यही जॉर्ज फर्नांडीस को श्रद्धांजलि होगी'।

अनिरुद्ध पाण्डेय को भारतीय सद्विचार मंच सम्मान

सुरेश वाकडे

मुंबई : मुंबई की प्रमुख सामाजिक - साहित्यिक संस्था समन्वय संकल्प के संस्थापक व प्रबंध ट्रस्टी अनिरुद्ध पाण्डेय को ' भारतीय सद् विचार मंच सम्मान ' से सम्मानित किया गया । मुंबई की २५ वर्ष पुरानी सामाजिक संस्था भारतीय सद् विचार मंच ने अपने वार्षिकोत्सव मे वरिष्ठ समाजसेवी व पत्रकार अनिरुद्ध पाण्डेय को उनकी दीर्घकालीन नि: स्वार्थ सेवाओं के लिए स्मृति - चिह्न , सम्मान - पत्र , शॉल व पुष्प - गुच्छ देकर सम्मानित किया गया । इस अवसर पर उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी , विधान परिषद् सदस्य व उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष आर एन सिंह , वरिष्ठ साहित्यकार व शिक्षाविद डॉ रामजी तिवारी , वरिष्ठ समाजसेवी डॉ विजय पंडित , भारतीय सद् विचार मंच के संस्थापक - अध्यक्ष डॉ राधेश्याम तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे ।

फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में २२ नगरसेवक बर्खास्त

मुंबई के महापौर भी हैं इनमें शामिल, किसी के भी खिलाफ दर्ज नहीं हुई एफआईआर

मंजु तिवारी

मुंबई : मनपा के पिछले आम चुनाव में आरक्षित सीटों से फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर कई लोग नगरसेवक बने बाद में पोल खुलने पर उनका नगरसेवक पद रद्द हो गया, लेकिन मुंबई मनपा प्रशासन ने फर्जीवाड़ा करने वाले किसी के भी खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाया है. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिनका नगरसेवक पद रद्द हुआ है उनमें मुंबई के महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर का नाम भी शामिल है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मनपा प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी है. प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि किसी भी नगरसेवक तथा नगरसेविका पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया है. मनपा के विधि विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को आज कोर्ट में जरूरत के हिसाब से दावा दायर करना और याचिकाकर्ता की तरफ से दर्ज किए मुकदमे में मनपा का पक्ष रखने का कार्य देखा जाता है. जानकारी के मुताबिक फर्जीवाड़ा कर चुनाव जीतने वाले २२ नगरसेवकों का पद रद्द किया गया है. इलेक्शन डिपार्टमेंट का तर्क है कि इलेक्शन करवाना उनका काम है.

पुस्तक लोकार्पण समारोह सम्पन्न

मेट्रो दिनांक संवाददाता

मुंबई : प्रमुख सामाजिक - साहित्यिक संस्था समन्वय संकल्प और आर के पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वावधान मे पुस्तक लोकार्पण समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांदिवली के मजीठिया कॉलेज सभागृह मे आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉ शीतला प्रसाद दुबे ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ कृष्ण कुमार मिश्र तथा हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यक्रम निदेशक संजीव निगम अतिथि के रूप मे उपस्थित थे। समन्वय संकल्प के संस्थापक व प्रबंध ट्रस्टी अनिरुद्ध पाण्डेय ने कार्यक्रम का संचालन किया।

पप्पू त्रिपाठी ' कौटिल्य की पुस्तक 'मानस मंथन ' , विमला मल्होत्रा का कहानी संग्रह ' आखिर कब तक ? ' और विकास कुमार के उपन्यास ' इश्क समाधि ' का लोकार्पण प्रमुख बुद्धिजीवियों की उपस्थिति मे किया गया । कार्यक्रम के शुरुआत मे इमरोज आलम के संचालन मे विनोद दुबे , बसंत आर्य , राजेश मंथन , आरिफ रजा और रागिनी पाण्डेय ने कविता पाठ किया । अंत मे आर के पब्लिकेशन के निदेशक रामकुमार ने सबका आभार माना।

संपादकीय

इनकम टैक्स छूट या झुनझुना!

बजट भाषण में जैसे ही मुंबईकरों ने 5 लाख रुपए तक की छूट की घोषणा सुनी सबके चेहरे चमक उठे लेकिन जैसे ही बाद में वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया सबके खिले चेहरे मुरझा गए। आम मुंबईकर यही सोच रहा है कि इस बजट से उसे मिला क्या? औसतन मुंबईकरों की आय इस टैक्स छूट से ज्यादा है जिसका सीधा मतलब हुआ कि टैक्स छूट का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलनेवाला है। सरकार ने मुंबईकरों और वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ छलावा किया है, ऐसा संदेश जा रहा है। मुंबईकर निवेश में भी आगे रहते हैं और उन्हें एलटीसीजी में छूट की बड़ी उम्मीद थी और सुबह से ही मीडिया में इसकी खबर चल रही थी। सरकार ने इस मोर्चे पर भी निराश किया है। सबको उम्मीद थी कि राहुल गांधी के मिनिमम इनकम गारंटी के जवाब में इस बार बजट में मोदी जी यूनिवर्सल बेसिक इनकम लांच करेंगे लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं हुई। किसानों को 2 हेक्टेयर पर 6,000 रुपए वार्षिक देने की बात हुई जो कि 500 रुपए प्रतिमाह है। ये देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरा ये मुआवजा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान हैं उनका क्या, इस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला। गौरतलब है कि देश में भूमिहीन किसान भी हैं। हालांकि मेगा पेंशन स्कीम जैसी चीजों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जैसी दरियादिली उन्होंने कॉर्पोरेट का टैक्स रेट 25 प्रतिशत करके दिखाई जिससे एक बड़ा राहत मिली, वे अगर वही राहत व्यक्तिगत करदाताओं के लिए दिखाते तो अच्छा रहता। 5 लाख से अधिक कमानेवाला आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। सरकार को टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए। सरकार ने शहरी मध्य वर्ग को कोई विशेष फायदा न देकर उन्हें निराश किया है। बजट में जो इतनी छूट दी गई है और उसे चुनाव को देखते हुए जनोन्मुखी बजट बनाने की कोशिश की है उसका भार कौन सहेगा। यदि इसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है और उसकी रिकवरी टैक्स से नहीं होती है तो सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे ब्याज की दरें प्रभावित होंगी और जब ब्याज दरें प्रभावित होगी तो मार्केट में पूंजी की लागत बढ़ेगी और इंडस्ट्री प्रभावित होगी। कुल मिलाकर चुनाव को ध्यान में रखकर बनाए गए इस बजट में शहरी करदाताओं के हाथ में झुनझुना ही लगा है और क्षणिक खुशी तुरंत ही काफूर हो गई। किसानों को 2 हेक्टेयर पर 6,000 रुपए वार्षिक देने की बात हुई जो कि 500 रुपए प्रतिमाह है। ये देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरा ये मुआवजा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन किसान हैं उनका क्या, इस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला। गौरतलब है कि देश में भूमिहीन किसान भी हैं। हालांकि मेगा पेंशन स्कीम जैसी चीजों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जैसी दरियादिली उन्होंने कॉर्पोरेट का टैक्स रेट 25 प्रतिशत करके दिखाई जिससे एक बड़ा राहत मिली, वे अगर वही राहत व्यक्तिगत करदाताओं के लिए दिखाते तो अच्छा रहता।

मराठा कोटा सरकार का चुनावी हथकंडा है: कोर्ट

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का जो निर्णय किया है वह राजनीतिक रुप से लिया गया है और यह सरकार का एक चुनावी हथकंडा है। उसका यह भी दावा है कि सरकार को यह निर्णय लेने की विधाई शक्ति नहीं है। न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाधीश भारती डांगरे ने बुधवार को इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं की अंतिम सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इन याचिकाओं में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में १६ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। वकील जी सदावर्ते ने याचिकाकर्ता जयश्री पाटील की ओर से पेश होते हुए कहा कि सरकार का निर्णय केवल चुनावी लाभ पाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कानून यह कहता है कि आरक्षण ५० प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है, जबकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शामिल करते हुए यह व्यवस्था ७८ प्रतिशत हो गई है। सरकार केंद्रीय कानून से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकता।उन्होंने यह भी कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मराठा समुदाय को एक जाति नहीं बताया है बल्कि कुन्बी जाति का हिस्सा बताया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया है। अब इस मुद्दे पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी।

भारत में तीव्र गति से बढ़ता अंध विश्वास

- डॉ. अर्चना दूबे

प्राचीन काल से ही कितने लोग अंध विश्वास को मानते आये है । पुराने समय में शकुन और मुहरत के अनुसार निश्चित तारीख और समय को युध्द लादे जाते थे । भारत देश में सबसे ज्यादा अंध विश्वास है । इसका मूल कारण यह है कि अपने कर्मों से ज्यादा लोग भगवान को मानते है । जिसके चलते कई बनावटी साधु,महात्मा लोगों के विश्वास का गलत लाभ ले लेते है। ईश्वर में आस्था रखना गलत बात नहीं है पर साधु, महात्मा व ढ़ोगीं बाबाओं को भगवान मान लेना ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है । मनुष्य को मानव धर्म सर्वोपरि मानना चाहिए उसके आस - पास सही गलत का अवलोकन करना चाहिए । इसी कारण आज हर एक गली मुहल्ले और शहरो तक में बनावटी बाबा भगवा चोला ओढ़े हुए मिल ही जाता है और उसके बहुत से लोग बड़े सहजता से अनुयायी भी बन जाते है । जैसे किसी ज्ञानी, महात्मा और एक लोभी व्यक्ति में मनुष्य अंतर नहीं कर पा रहा है और बढ़ते समय के साथ अंध विश्वास का गुलाम होता जा रहा है। आज ऐसे कितने केस है जो सामने आये कि भगवा चोले के पीछे कितने घिनौने कार्य हो रहे है, पर दुःख तो इस बात का है कि इतना होने के बावजूद भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कबीर के दोहे के माध्यम से कुछ संकेत ...... मूरति धरि धंधा रखा, पाहन का जगदीश । मोल लिया बोलै नहीं, खोटा विसवा बीस ?

अर्थात ईश्वर की आस्था मन व सत्कर्म से जाहिर होती है उसके लिए धार्मिक आडम्बर व्यर्थ है ।

अंध विश्वास एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सामने होते हुए भी कोसो दूर है । विश्वास टूटकर बिखरता है और अंध विश्वास मजबूती से खड़ा होता है । खोखला होते हुए भी मजबूती की जड़े लिये हुए जिसे समझते हुए भी कोई स्वीकारना नहीं चाहता । आज का समय जिस तरह से बुराईयों को अपने अंदर समाये हुए है और मनुष्य सगे से सगे रिश्ते पर भी विश्वास नहीं कर सकता । परंतु इसके बावजूद भी कई ऐसे अंध विश्वास हैं जिसका शिकार आज हर एक तीसरा व्यक्ति है फिर चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ । यहा भी मैं कबीर के दोहे के माध्यम से बताना चाहती हूँ ..

भेष फकीरी जे करै, मन नहिं आये हाथ. दिल फकीरी जे हो रहे, साहेब तिनके साथ ?

अर्थात फकीर के कपड़े व भगवा धारण कर लेने से उस मनुष्य का मन, चरित्र निर्मल अर्थात साधू का नहीं हो जाता, उसके ऊपर ईश्वर का हाथ नहीं आ जाता है । जिसके मन में फकीराना का भाव होता है, जो मन से निश्चल होता है, ईश्वर हमेशा उसी के साथ होता है। यहां तक कि लोगों ने अंध विश्वास को भी शुभ और अशुभ में बांट दिये है जिनमें कुछ मान्यता होती है जो नुकसान नहीं देती है और कुछ मान्यता होती है जो बराबर नुकसान देती है । किसी भी बात को बिना सोचे समझे, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर करना व मानना ही अंध विश्वास है । चाहे वह भगवान की भक्ति हो या किसी इंसान की । इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती । कुछ बाते तो ऐसी है जो आप अक्सर ही सुनते होंगे उदाहरण के तौर पर................ अंध विश्वास के भी कई प्रकार है .. 3 और 13 नम्बर को अशुभ मानना - बहुत से लोग ऐसे भी है जो इस संख्या को अशुभ मानते है । यहां तक कि इन तारीखों पर भी कोई शुभ कार्य नही करते ।

छींक आने पर रूकना बहुत से लोग ऐसे भी है जो कि छींक आना अपशगुन मानते है । यहा तक कि किसी शुभ कार्य में जा रहे हो तो कोई छींक दिया तो बहुत ही बुरा मानते है और कार्य पूर्ण न होने का अंदेशा भी लगा लेते है ।

कांच का टूटना

ऐसा लोगों का मानना है कि कांच के टूटने से बुरा समाचार आता है । जाने अनजाने में ऐसी गल्ती होने पर लोग भगवान को पूजने लगते है । कौवे की आवाज सुनकर लोगो का मानना है कि घर में कोई मेहमान आयेगा । यदि पैर में खुजली हो रही हो तो ऐसा मानना कि बाहर जाने का मौका मिलेगा । हथेली में खुजली हो तो पैसा आयेगा । कई लोग घोड़ें के पैरो की नाल घर में टागना शुभ मानते है ।ऊल्लू की चीख को अशुभ मानते है ।

विधवा औरत रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती ।

ज्योतिषियों के बातों को अधिक बढ़ावा देना ।

पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा ४१ बार किया चाकू से वार

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपमान और तानों से तंग आकर अपनी बीवी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया. आरोपी ने अपनी पत्नी पर चाकू से एक नहीं दो नहीं बल्कि ४१ बार वार किए. उसका गुस्सा यहीं नहीं थमा. उसने लोहे के पाने से अपनी पत्नी के सिर पर इतनी बार वार किए कि उसका दिमाग खोपड़ी से बाहर निकल आया. दिल दहला देने वाली हत्या की ये वारदात गुरुग्राम के सेक्टर-५ थाना क्षेत्र की है. जहां अशोक विहार फेस-१ इलाके में आरोपी ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया. दरअसल, दिल्ली के पटेल नगर के निवासी २४ वर्षीय वंशिका उर्फ नेहा की शादी वर्ष २०१७ में गुरुग्राम निवासी पंकज भारद्वाज के साथ हुई थी. एक साल तक सब ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन वंशिका के घरवालों का दखल उनकी जिंदगी में ज्यादा होने लगा था.

पुलिस के मुताबिक हत्या के इस मामले में आरोपी पति पंकज और उसके साथी नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान पंकज ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी पत्नी की बर्ताव बदल गया था. वो बात-बात पर उसकी बेइज्जती करती थी. उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी. वो पंकज की बात मानने के बजाय केवल अपने मायके वालों के कहने पर चलती थी. पंकज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी. इसी बात से पंकज का मन दुखी रहने लगा. उसे अपनी पत्नी से नफरत होने लगी. वो बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में था. इसी के चलते रविवार को पंकज ने अशोक विहार फेस-१ स्थित मकान में अपनी पत्नी वंशिका उर्फ नेहा को चाकू से गोद डाला. पंकज ने वंशिका पर एक बाद एक ४१ बार चाकू से वार किए. वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. लेकिन इस पर भी पंकज का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उसने लोहे के एक पाने से वंशिका के सिर पर कई बार वार किए. जिससे उसकी खोपड़ी तक टूट गई और दिमाग बाहर निकल आया. पुलिस ने इस संबंध में वंशिका के पति पंकज और उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को नामजद किया है. साथ ही आरोपी पंकज के साथी नसीम अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि नसीम कत्ल की इस साजिश में शामिल था. वो चाकू खरीदने से लेकर कत्ल तक पंकज का सहयोगी रहा.

पुलिस ने आरोपी पंकज और नसीम के अलावा पंकज के पिता विजय कुमार, मां बालेश देवी और उसके भाई हैप्पी को भी इस साजिश में आरोपी बनाया है. पंकज के पिता विजय कुमार एक स्थानीय दैनिक अखबार के संपादक और प्रकाशक भी है. घटना के बाद से ही पंकज के घरवाले फरार हैं. उधर, वंशिका के पिता महेश शर्मा का आरोप है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

नाबालिग से रेप के बाद छत से फेंककर कर दी हत्या, दरिंदों पर पुलिस मेहरबान

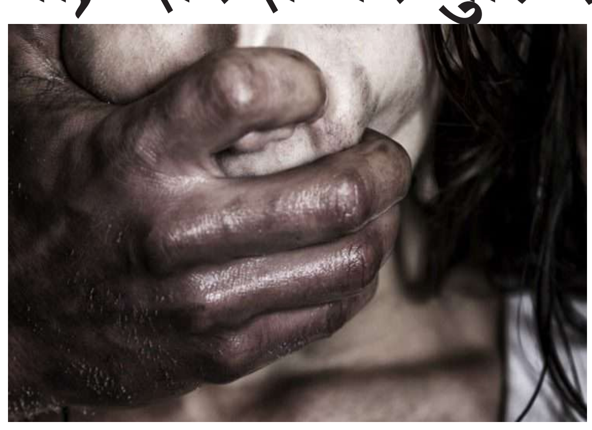

दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कंझावला इलाके में रहने वाले परिवार ने दिल्ली महिला आयोग (अ्एें) से संपर्क कर आरोप लगाया कि इस साल की शुरुआत में उनकी नाबालिग बेटी का सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे मकान की छत से फेंक दिया गया. पीड़ित लड़की की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार के मुताबिक, १६ जनवरी, २०१९ को उनकी १६ वर्षीय बेटी अपनी सहेली के साथ कनॉट प्लेस में ट्रेनिंग के लिए गई थी. जब वह घर नहीं लौटी तो अगले दिन परिवार ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में लडकी की गुमशुदगी दर्ज कराई.

उन्हें सूचित किया गया कि उनकी बेटी को करोलबाग के नजदीक जख्मी हालत में पाया गया था और उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल पहुंचने पर पीड़ित परिवार को बताया गया कि लड़की को ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से गंभीर चोटें आईं थीं, इसलिए इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है.

पीड़ित लड़की ने २० जनवरी को सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया. गंभीर हालत में होने के चलते उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके थे. हालांकि, १७ जनवरी की सुबह लगभग १०.४५ बजे पीसीआर वैन को घायल लड़की के बारे में सूचना मिली थी, लेकिन उनका कहना है कि प्रसाद नगर के मिलिट्री रोड इलाके में इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं मिला. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है. आयोग ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ को इस केस में गंभीर आरोपों को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है.

बच्ची की मां की शिकायत के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एफआईआर में बलात्कार, हत्या, अपहरण, पॉक्सों एक्ट और सबूतों को नष्ट करने की धाराएं नहीं लगाईं हैं.

इसके अलावा इंसाफ मांग रही पीड़िता की मां की मदद कर रहे एकता विहार के" अध्यक्ष को पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार को सहयोग न देने के लिए धमकी भरे फोन किए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए आदेश को अनदेखा कर पुलिस ने इस घटना के बारे में आयोग को सूचित नहीं किया. इसे लेकर भी आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया है. नोटिस में एकता विहार" अध्यक्ष को धमकाने में शामिल पुलिस कर्मियों का नाम मांगा गया है और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है. दिल्ली महिला आयोग आयोग ने लेडी हार्डिंग और सफदरजंग अस्पताल को भी नोटिस जारी किया है ताकि मृतका की मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा सके.

स्वाति मालीवाल ने मामले पर कहा कि राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. ताजा मामले में पीड़ित लड़की अपनी चोटों के दर्द से से पहले असहनीय पीड़ा से गुजरी. वह बहुत गरीब पृष्ठभूमि से थी और उसके पिता कुछ समय पहले ही गुजर गए थे. आयोग उसके लिए इंसाफ मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. हम पीड़िता के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए अदालत में एक आवेदन भी दायर करेंगे.

वॉट्सएप का लास्ट सीन, कुंभ और मिसिंग रिपोर्ट: पुलिस से ऐसे बचता रहा २६Cr का हीरा चोर

मुंबई : यतीश फिचाडिया नामक हीरा दलाल डेढ़ महीने पहले २६ करोड़ रुपये कीमत के हीरे लेकर भाग गया था। बीकेसी पुलिस ने इनमें में से २० करोड़ के डायमंड जब्त कर लिए हैं। यतीश ने ये हीरे अपने दोस्त राजेश मंसूरी की गर्लफ्रेंड के घर छिपा रखे थे। मुंबई में इतनी बड़ी हीरा चोरी का हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ा मामला है। डीसीपी अनिल कुंभारे ने गुरुवार को बताया कि इस केस में मुख्य आरोपी यतीश के अलावा भी छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यतीश बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स में पिछले आठ साल से काम करता था। इन सालों में उसने हीरा व्यापारियों के बीच अपनी खास पहचान बना रखी थी। इंस्पेक्टर प्रदीप खानविलकर कहते हैं कि यतीश बोली में बेहद ही मीठा है। वह अपने इसी बोल से सामने वाले को एक पल में दोस्त बना लेता है। वह हीरा व्यापारियों से डायमंड्स लेता था, उन्हें बाजार में बेचता था और फिर अपना कमिशन लेकर सारी रकम व्यापारियों को दे देता था। व्यापारी भी खुश और वह भी खुश। ठगने से लेकर जमानत तक, हर चीज का बनाया प्लान करीब तीन महीने पहले उसने सभी को ठगने की साजिश रची और इस सिलसिले में अपने कुछ मित्रों को भरोसे में लिया। ११ दिसंबर, २०१८ को उसने दो दर्जन व्यापारियों से २६ करोड़ रुपये कीमत के डायमंड्स लिए और इसके बाद विरार आ गया। वहां उसने अपने दो खास दोस्तों- केतन पवार और राजेश मंसूरी को बुलाया। केतन को उसने ४ करोड़ रुपये कीमत के हीरे दिए और कहा कि अगर कुछ आरोपी गिरफ्तार हो जाएं, तो इन्हें बेचकर इनसे कानूनी खर्च करना, ताकि आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आ सकें। साथ ही आरोपियों के परिवार वालों को भी आर्थिक मदद करना। बाकी करीब २२ करोड़ रुपये कीमत के हीरे उसने राजेश मंसूरी को दे दिए। राजेश ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए उसके घर छिपा दिए थे। कुछ हीरे इस दौरान उसने बेच भी दिए। ११ दिसंबर को विरार पहुंचने के बाद यतीश फिचाडिया ने पत्नी से कहा, 'अब मैं भाग रहा हूं। तुम मेरे घर से निकलते ही अर्नाला पुलिस जाकर मेरी मिसिंग की शिकायत कर देना,

बेंगलुरू ने दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी कर केरला ब्लास्टर्स से २-२ से ड्रा खेला

बेंगलुरू, बेंगलुरू एफसी ने दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए बुधवार को यहां इंडियन सुपर लीग मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स एफसी से २-२ से ड्रा खेला। स्लाविसा स्टोजानोविच ने १६वें मिनट में पेनल्टी से और करेज पेकुसन के ४०वें मिनट में किये शानदार गोल से ब्रेक तक दो गोल की बढ़त बना ली। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि केरला ब्लास्टर्स शायद बेंगलुरू एफसी के खिलाफ पहला मैच जीत लेगी तभी उदांता सिंह ने ६९वें मिनट में हेडर से और फिर सुनील छेत्री ने ८५वें मिनट में गोलकर अपनी टीम को एक अंक दिलाया। इस नतीजे से बेंगलुरू की टीम ने आईएसएल तालिका में चार अंक की बढ़त बना ली जबकि केरला ब्लास्टर्स को अभी तक १४ मैचों में जीत नहीं मिली है और टीम नौवे स्थान पर है।

आवश्यकता है

मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पालघर, इलाहाबाद, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ, आजमगढ़, लखनऊ इत्यादि जिलों से अंशकालिक संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करें :

संपर्क : मो.
९८२१२८७९०५,
९३२२२४८३५३-
९१६७००९६२९

Email :

Advertisment Rates

Rs. 1000/- 1 Month (Five lines)
Rs. 3000/- 2 Month+1 Month (Five lines)
Rs. 3000/- 3 Month+2 Month (Five lines)

Size	B/W (Rs.)	4 Col. (Rs.)
Full Page	30,000	50,000
Half Page	16,000	30,000
Quarter Page	8,000	16,000
V card size	4,000	9,000

MEMBERSHIP
5 Year - 1000 Life time - 3000
Note : Please Issue Cheque, Cash & DD in the name of "Metro Dinank"

प्रकाशक, मुद्रक- श्रीमती मंजू दीनानाथ तिवारी द्वारा स्वामी एवं संपादक- दीनानाथ एम.तिवारी, द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस 7, उद्योग भवन, शर्मा इंडस्ट्रियल इस्टेट, बालभट्ट रोड गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 63 मुद्रित तथा जय बजरंगबली चाल कमेटी, गांधी नगर, कुरार विलेज मालाड (पूर्व), मुंबई- 97 से प्रकाशित। संपादक - दीनानाथ एम. तिवारी, **कार्यकारी संपादक-** कर्ण हिन्दुस्तानी, **उपसंपादक-** शिवशंकर तिवारी, संतोष तिवारी, राजेश पाल **संरक्षक-** वसंत सेठिया, शैलेश देसाई, दयाराम पाल, राजेंद्र आर. पाल, जया पेंगल, राजकुमार यादव, सुशील पाण्डेय (सी.ए.) - **चीफ एड डिपार्टमेन्ट-** निलेश पांडे **वितरक-**सुचित कुमार (मंत्रालय, पुलिस, मनपा, रेलवे, ओल्ड कस्टम हाऊस)

उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ : बी. के. मिश्रा / सी. एस. तिवारी
कानून सलाहकार- डी.के. पाण्डेय, एड. किशोर डेढिया, जे.पी. शर्मा, एस.के. दुबे, के.के. शुक्ला, **संपर्क : टेलीफैक्स** 022-29656280,
मो. 9821287905, 9322248353-9167009629
Email : metrodinank@gmail.com
Post Regd.NoMH/MR/NW~-143/2009
नोटिस, नामपरिवर्तन, गजट, व्यवसायिक विज्ञापन आदि छपवाने के लिए संपर्क करें

संक्षिप्त न्युज

७ महीने बाद आया फैसला, ४ साल की बच्ची से किया था रेप, २ मार्च को दोषी को होगी फांसी

सतना: मध्यप्रदेश में ४ साल की एक बच्ची से रेप के एक आरोपी को सतना की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. २८ वर्षीय सरकारी अतिथि शिक्षक महेंद्र सिंह गोंड का फांसी वारंट जारी कर दिया है. यह वारंट जबलपुर केन्द्रीय जेल को भेजा गया है और २ मार्च को इस शिक्षक को फांसी पर लटकाने की तिथि तय की गई है. रेप की यह घटना इतनी बर्बरतापूर्ण थी. जिसके बाद का कई महीनों तक एम्स अस्पताल में इलाज करना पड़ा था. वहीं अधिकारियों की माने तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस सजा पर रोक नहीं लगाता है तो तय की गई तारीख पर दोषी टीचर को फांसी दे दी जाएगी. बता दें कि बलात्कार के दोषी पाये गये महेन्द्र सिंह गोंड को फांसी पर लटकाने का वारंट सुनवाई अदालत से ई-मेल के जरिये जबलपुर केन्द्रीय जेल को मिला है. वारंट के अनुसार २ मार्च २०१९ की तारीख उसे फांसी पर लटकाने के लिए तय की गई है. गोंड खुद को सुनाई गई फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया भी जारी है.

शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगरजिले में २६ वर्षीय एक महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है. थाना प्रभारी आर बी कौल ने बताया कि महिला ने सोमवार को जनसथ थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच की जा रही है. कौल ने बताया कि महिला ने शिकायत में आरोपी पर शादी का झांसा देकर कई महीनों

तक उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है. महिला ने जब आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया और धमकी भी दी.

गर्लफ्रेंड से फोन पर हुई बहस, ऑटो में लगा ली खुद को आग, सह यात्री भी जले

नई दिल्ली: २४ साल के एक लड़के ने कथित तौर पर रविवार रात दिल्ली में खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वह एक ऑटोरिक्शा में यात्रा कर रहा था, तब उसका कोलकाता में अपनी प्रेमिका के साथ फोन पर झगड़ा हो गया। इसी दौरान उसने आग लगा ली। घटना दिल्ली के ज्योति नगर की है।

पुलिस ने कहा कि युवक की पहचान शिवम के रूप में हुई है। उसके साथ चचेरे भाई अर्जुन (२४) और सह-यात्री भी इस आग में जख्मी हो गए। जांच अधिकारी ने बताया कि शिवम ७० प्रतिशत जल गया, अर्जुन २० प्रतिशत झुलस गया, जबकि तीसरा यात्री, जो कि ६० साल के भगवान सिंह हैं, वो मामूली रूप से घायल हो गए। तीनों का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद का रहने वाला शिवम अपने चचेरे भाई अर्जुन के साथ लोनी जा रहा था। फोन पर एक महिला से बातचीत के दौरान शिवम की बहस हो गई, जिसके कारण वह परेशान लग रहा था। क्रोधित होकर उसने अचानक एक बोतल से पेट्रोल डाल लिया, जो वह अपनी जैकेट के अंदर ले जा रहा था और खुद को लाइटर से जला लिया। ऑटोरिक्शा के चालक ने वाहन को तुरंत रोक दिया और राहगीरों की मदद मांगी। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शिवम के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और घटना की जांच कर रही है। शिवम के रिश्तेदारों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह पेट्रोल की बोतल क्यों ले जा रहा था। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-उत्तर पूर्व) अतुल ठाकुर ने कहा कि शिवम का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल है।

श्मशान में आधी जली हुई लाश खाते पकड़ा गया नरभक्षी

चेन्नई: कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जिन्हें वास्तव में भयावह कहा जा सकता है और ऐसी ही एक भयानक घटना तमिलनाडु के वासुदेवनल्लूर शहर के एक श्मशान में देखी गई। शहर के टी रामनाथपुरम क्षेत्र में स्थानीय लोगों के एक समूह ने एक शख्स को अपने गांव के श्मशान में देखा, जो आधी जली हुई लाश खा रहा था।इस नरभक्षक की पहचान गांव के एक दिहाड़ी मजदूर ४३ साल के मुरुगेसन के रूप में हुई। यह कहा गया था कि आरोपी ने पूर्व में इसी तरह के अपराध किए थे और उसकी पत्नी ने उसके विचित्र व्यवहार के कारण उसे छोड़ दिया था।माना जाता है कि वह एक महीने से अधिक समय तक नरभक्षण में लिप्त रहा होगा। लोगों को पहले संदेह था कि श्मशान में शवों को कुत्तों द्वारा चबाया जा रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि एक आदमी द्वारा अधर्मी काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने फिर अपराधी को पकड़ने की योजना बनाई।दो दिन पहले एक बूढ़ी महिला की मृत्यु हो गई तो उसके रिश्तेदारों ने महिला के शव

का अंतिम संस्कार किया और घर लौटने का नाटक किया। वे छिपे रहे और नरभक्षी का इंतजार करते रहे। रात १:३० बजे मुरुगेसन एक दरांती के साथ मौके पर आया। उसने लाश का मांस का एक हिस्सा काटकर राख साफ कर उसे खाना शुरू कर दिया।इस तरह के घृणित नजारे को देखने के बाद ग्रामीण सहम गए और फिर तेजी से पत्थर फेंके और उस पर चिल्लाए। हालांकि, आरोपी ने ग्रामीणों पर कोई ध्यान नहीं दिया और लाश पर हाथ फेरता रहा। इसके बाद वासुदेवनल्लूर पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मुरुगेसन को रंगे हाथ पकड़ लिया।जांच के दौरान, आरोपी ने घटना के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। पुलिस को लगा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है और स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद से मुरुगेसन को इलाज के लिए चेन्नई किलपुक मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया।

मुजफ्फरनगर दंगा: कवाल कांड के सभी ७ आरोपी दोषी करार

मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के कवाल में २ भाइयों सचिन और गौरव की हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को सभी ७ आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा पर शुक्रवार को फैसला आएगा। जिले के एडीजे-७ कोर्ट के जज हिमांशु भटनागर ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपियों की सजा का ऐलान करने के लिए ८ फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। मामले में कुल ८ आरोपी थे, जिनमें से शाहनवाज नाम के आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। सभी ७ दोषियों को जेल भेज दिया गया है। तकरीबन साढ़े ५ साल पहले २७ अगस्त २०१३ को कवाल कांड के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसमें ६० से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हुए थे। मामले में सरकारी वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल २०१३ में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम ,मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजाल और इकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के ५ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी थी।

गौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार ने साल २०१३ में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के ३८ आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इन मुकदमों को वापस लेने की संस्तुति रिपोर्ट २९ जनवरी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई थी। यूपी सरकार ने पिछले १० जनवरी को इन मुकदमों को वापस लेने की स्वीकृति दी थी।

महाराष्ट्र सीएम फड़णवीस ने मानी अन्ना की मांगें, सातवें दिन अनशन खत्म

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपना अनशन मंगलवार को खत्म कर लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अन्ना की मांगें स्वीकार कर ली है।लोकपाल की मांग को लेकर सातवें दिन जारी

अनिश्चितकालीन अनशन के बाद मंगलवार को पुणे के रालेगन सिद्धि में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और दो केन्द्रीय मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की। फड़णवीस के साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे भी साथ थे।३० जनवरी को अनशन शुरू करने के बाद मंत्रियों और अन्ना हजारे के बीच यह दूसरी बार की बातचीत थी। इससे पहले सोमवार को भामरे और महाराष्ट्र के मंत्री गिरिश महाजन ने अन्ना हजार से बात कर उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी।

तस्करों से १०३ लड़कियां आजाद, भेज रहे थे अरब

इंफाल, मणिपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों से १२८ लड़कों और लड़कियों को बचाया है। इंफाल के नगर पुलिस के एसएचओ बॉबी ने कहा कि सूचना मिलने पर, शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस ने राजधानी के विभिन्न होटलों से १०३ लड़कियों और पांच लड़कों को बचाया है। पुलिस ने बताया कि इनमें लगभग ७३ युवा नेपाली थे। अभियानों की अगुआई इंफाल वेस्ट जिला के उप-खंडीय पुलिस अधिकारी संदीप गोपाल दास ने की। शनिवार सुबह, कमांडो और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने तेंगनौपाल जिले में म्यांमार सीमा के पास मोरे नगर में होटलों पर छापा मारा और पांच लड़कियों और १५ लड़कों को बचाया।

युवाओं को म्यामांर के रास्ते अरब देशों में ले जाने की थी योजना

सूत्रों ने बताया कि लड़कियों को अन्य देशों में ले जाने से बचाया गया। १५ लड़कों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनका अपहरण हुआ था या वे मानव तस्करी गिरोह के सदस्य हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, युवाओं को पहले म्यांमार ले जाना था और वहां से दुबई और इराक। नेटवर्क लाइफलाइन फाउंडेशन के सचिव एल. पिशक ने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं ने युवाओं की मणिपुर के रास्ते म्यांमार में तस्करी के बारे में सचेत कर दिया गया था। इससे पहले ३० जनवरी को दिल्ली के राजीव नगर में कार्यकर्ताओं द्वारा बचाई गईं छह लड़कियों ने खुलासा किया कि कुछ लड़कों और लड़कियों को म्यांमार ले जाया जा रहा है। तेंगनौपाल जिला पुलिस अधीक्षक एस. इबोम्चा ने कहा, 'हम सीमावर्ती नगर के होटलों और अन्य संदिग्ध घरों में छापेमारी जारी रखेंगे।'

मुजफ्फरपुर में भरे बाजार में एनकाउंटर, एक बदमाश सहित २ की मौत

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक बस स्टैंड पर दिनदहाड़े दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई. इस वारदात में दो लोगों की मौत होने की खबर है. मृतकों में एक अपराधी भी बताया जा रहा है. वहीं इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामलें की तफ्तीश में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड पर दों गुटों में संघर्ष हो गया. दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आई और फिर पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया.इस गोलीबारी में एक बस संचालक को गोली लग गई. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई. इस दौरान पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया. मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. जबकि मौका पाकर कई बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए.पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से एक पिस्टल भी बरामद किया है. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, मुजफ्फरपुर के इस बस स्टैंड पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक बार पहले भी गोलीबारी हो चुकी है.

SIMI पर बैन बरकरार, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध ५ साल और बढ़ाया

नई दिल्ली : आतंकी वारदातों में कथित तौर पर शामिल सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) पर से केंद्र सरकार ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है. देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए केंद्र ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को ५ सालों के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने कहा है कि सिमी लगातार विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है. इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना जरुरी है.

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद ये आदेश प्रभावी हो गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, १९६७ की धारा ३ की उप धारा (१) और (३) के अंतर्गत केंद्र सरकार सिमी को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यदि सिमी की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया और इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखेगी, अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करेगी तथा देश विरोधी भावनाओं को भड़का कर धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बाधित करेगी.

गृह मंत्रालय ने ५८ ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया जिसमें सिमी के सदस्य कथित रूप से शामिल थे. इसमें बिहार के गया में २०१७ में हुआ विस्फोट, २०१४ में बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विस्फोट और २०१४ में ही भोपाल में जेल ब्रेक शामिल हैं. इस समूह के सदस्य कथित तौर पर बैंक लूट, पुलिसकर्मियों की हत्या, विस्फोट सहित अन्य मामलों में शामिल रहे हैं.गौरतलब हो कि सबसे पहले कांग्रेस की यूपीए सरकार ने १ फरवरी २०१४ को सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था.

किसानों को कर्जमाफी के प्रमाणपत्र इसी हफ्ते से

जयपुर : राज्य में सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को उनके फसली कर्ज माफ होने के प्रमाण पत्र इसी सप्ताह, सात फरवरी से दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आठ फरवरी से जेल भरो आंदोलन करने वाली थी।

मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की और कर्ज माफी प्रमाण-पत्र वितरण शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश दिए।

सभी जिलों में ऋणमाफी प्रमाण-पत्र वितरण शिविर सात फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में होंगे। इनमें सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता देते हुये इन

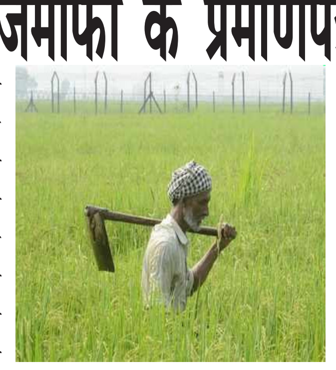

शिविरों का आयोजन सफल बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया है और उसमे पहला बिन्दु किसान कल्याण से संबंधित है। यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ऋणमाफी शिविरों की सफलता सुनिश्चित करें।

सभी जिला कलक्टरों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऋणमाफी प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। इसके बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के दो दिन में ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी।

इसके औपचारिकताएं तय करने के लिए बनाई गयी समिति ने अपनी रपट कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री को सौंपी थी। भाजपा किसान कर्जमाफी को लगातार मुद्दा बनाए हुए है।

विधानसभा के पहले सत्र में भी उसने इसे लेकर हंगामा किया। आठ फरवरी से वह जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाली थी। इस बीच सरकार ने कर्जमाफी के प्रमाण पत्र बांटने के शिविर आयोजित करने की घोषणा की है।

हालांकि सरकार की ओर से अभी अन्य बैंकों के कर्जदाता किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

'PUBG जैसे गेम बच्चों के लिए खतरनाक'

नई दिल्ली, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली के स्कूलों को एक नोट भेजा है। इस नोट में कहा गया है कि PUBG और Fortnite जैसे गेम्स बच्चों के लिए खतरनाक हैं और ये बच्चों को मानसिक तौर पर प्रभावित करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाल ही में परीक्षा पे चर्चा २.० में बच्चों में ऑनलाइन गेम्स के लिए बढ़ रही आदत और इससे निपटने के बारे में पूछा गया था। DCPCR नोट में हिटमैन और पीकेमोन गो जैसे दूसरे गेम्स का भी जिक्र है। पिछले कुछ महीनों से देश में PUBG और Fortnite जैसे गेम्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। DCPCR द्वारा जारी नोट में कहा गया है, 'ये गेम्स महिला-विरोधी, नफरत, छल-कपट और प्रतिहिंसा से भरे हुए हैं। एक ऐसी उम्र जबकि बच्चे चीजें सीखते हैं, यह उनके जीवन व मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।' DCPCR की सदस्य रंजना प्रसाद ने मीडिया को बताया कि सोमवार को यह अडवाइजरी पहले से जरूरी उपाय करने के लिहाज से जारी की गई है। उन्होंने कहा, 'इन दिनों हमें बच्चों में काफी सारा गुस्सा और घमंड देखने को मिलता है। उनका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है और इन हिंसक गेमों की वजह से सोशल लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है।'

PUBG और Fortnite भारत में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं और स्कूली व कॉलेज छात्र इन गेम्स को लगातार खेल रहे हैं। बता दें कि भारत में पहले ऑनलाइन व विडियो गेम बहुत लिमिटेड थे क्योंकि इनकी इन्हें खेलना महंगा था। देश में गेमिंग पीसी या गेमिंग कंसोल और हाई-ऐंड टेलिविजन हर किसी की पहुंच में नहीं थे। लेकिन अब स्मार्टफोन के साथ हर युवा और टीनएजर इन गेम्स का मजा ले रहे हैं। यही वजह है कि हैवी-ग्राफिक्स गेम्स जैसे PUBG और Fortnite को अब आसानी से स्मार्टफोन्स पर खेला जा सकता है। देश में इन गेम्स की अचानक बढ़ी लोकप्रियता का यही एक कारण है। इन गेम्स की तेजी से बढ़ रही लोकप्रियता और बच्चों पर इनके असर के चलते ही अब अभिभावक और सरकारी एजेंसियां सजग हुई हैं। कॉलेजों और स्कूलों में बच्चों की सीख दी जा रही है। हाल ही में गुजरात सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए गेम्स पर बैन लगा दिया था और स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि बच्चे क्लास में PUBG न खेलें। वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी ने भी छात्रों के PUBG खेलने पर रोक लगा दी थी।

१९८३ बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि शुक्ला बने नए सीबीआई डायरेक्टर

नई दिल्ली : सरकार ने शनिवार को ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का नया निदेशक नियुक्त कर दिया। ऋषि कुमार मध्य प्रदेश काडर के १९८३ बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चयन समिति की पिछले नौ दिनों में दो बार हुई बैठक के बाद जांच एजेंसी के शीर्ष पद के लिए ७० उम्मीदवारों में से की गई है। १९८३ बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम

के अध्यक्ष हैं।वह आलोक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें १० जनवरी को इस पद से हटा दिया गया था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला को दो साल के तय कार्यकाल के लिये शनिवार को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया।

इससे पहले केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि सीबीआई में कबतक अंतरिम निदेशक की स्थिति बनी रहेगी, जिसका सरकार ने जवाब दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र से कहा था कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और सरकार को अबतक एक नियमित निदेशक नियुक्त कर देना चाहिए था।

पीठ, कॉमन कॉज नामक एनजीओ की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विवादास्पद परिस्थितियों में पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को हटाने के बाद एम. नागेश्वर राव की सीबीआई अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया अबतक खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यह पहले से ही पता था कि वर्मा जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मां के ब्वॉयफ्रेंड ने बेटी से किया रेप, सच सुन हैरान रह गई पुलिस

शिवशंकर तिवारी

मुंबई, महाराष्ट्र के नागपुर में एक ३६ वर्षीय युवक ने १९ साल की लड़की से बलात्कार किया. जब इस बात का खुलासा हुआ तो पता लगा कि पीड़िता की मां युवक की गर्लफ्रेंड है, जो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी. इस मामले में जरीपटका पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान रितेश पडगलवार (३६) के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी रितेश जरीपटका की हुडको कॉलनी में रहता है. उसका कैटरिंग का व्यवसाय है. कुछ समय पहले उसकी पहचान बस्ती में ही रहने वाली महिला से हुई. उनके बीच दोस्ती हुई जो आगे चलकर प्यार में बदली. महिला शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति ने उसे छोड़ दिया था.

कुछ समय बाद रितेश महिला के घर आने-जाने लगा.

यह बात उसकी बेटी को खटकती थी, लेकिन मां उसे डांट कर चुप करा देती थी. लगभग ६ माह बाद रितेश महिला के साथ उसके घर पर ही रहने लगा.

नहाते, कपड़े बदलते छेड़ता था आरोपी...

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रितेश शराब के नशे में अक्सर घर आता था. वह मझे कपड़े बदलते हुए तो कभी नहाते हुए छेड़ता था. कई बार तो उसने रात में सोते समय भी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की. लेकिन मैं मां के डर से चुप रही. लेकिन मंगलवार दोपहर मां काम पर गई थी तभी रितेश आया और उसने मुझे पानी लेकर बेडरूम में आने के लिए कहा. फिर उसने दरवाजा बंद करके उसने मुझसे जबरदस्ती की.

दी जान से मारने की धमकी...

बलात्कार के बाद रितेश ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी. वो डरी सहमी रहने लगी. फिर जब उसकी सहेलियां घर पर आई तो वो उनके सामने फूट-फूटकर रोने लगी. तब जाकर रेप की घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद बच्ची की शिकायत पर रितेश के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

गवाह बनने को तैयार इंद्राणी मुखर्जी, आज कोर्ट करेगा सवाल

पूजा पाण्डेय

मुंबई: बहुचर्चित INX

मीडिया केस में गुरुवार को एक बड़ा अपडेट आया. इस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गवाह बनने की बात कही थी, आज कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण मुंबई की भायखला जेल से कनेक्ट होगी. यहां कोर्ट इंद्राणी मुखर्जी से पूछेगा कि क्या इसके लिए उन पर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया है.

आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी शीना वोरा मर्डर केस में सजा काट रही हैं. और पिछले ४ साल से जेल में ही बंद हैं. इंद्राणी मुखर्जी ने बीते साल दिसंबर में कोर्ट को चिट्ठी लिख इस मामले में गवाह बनने की बात कही थी.

गौरतलब है कि आज ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करेगा. ईडी के अलावा कार्ति पर इस केस में सीबीआई का भी शिकंजा है. आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने ण्ँ की प्राथमिकी के आधार पर एक PMLA का मामला दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि INX मीडिया को २००७ में ३०५ करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है, इस दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरम थे.

ED व ED यह भी जांच कर रही हैं कि कैसे UPA सरकार में मंत्री पी. चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम एफआईपीबी की मंजूरी प्राप्त करने में कामयाब रहे. गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम को २८ फरवरी, २०१८ को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत मिल गई.

ED की अब तक की जांच से पता चला है कि इ्ँ की मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के पीटर व इंद्राणी मुखर्जी ने पी.चिदंबरम से मुलाकात की थी, ताकि उनके आवेदन में किसी तरह की देरी न हो. ईडी ने कहा है कि इस तरह से जो रुपया संबंधित निकायों को मिला, वह गैरकानूनी रूप से एएससीपीएल में लगा दिया गया. ED ने कार्ति चिदंबरम की ५४ करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया है. ईडी ने इसी से जुड़े मामले में मुखर्जी की संपत्तियों को भी कुर्क किया है.

अस्पताल की लापरवाही कफन हटा तो दंग रह गए घरवाले

गोविंद अग्रवाल

मीरा रोड : घर में चारों तरफ गम का माहौल था। परिवार के लोग चीख-चिल्ला रहे थे। अर्थी सजाई जा रही थी। जब वक्त आया मुख दर्शन का और मुंह से कफन हटाया गया तो सब के सब अवाक रह गए क्योंकि वह लाश किसी और की थी। यह वाकया मीरा रोड-पूर्व के भक्ति वेदांत अस्पताल के परिचारक के लापरवाही से शेट्टी परिवार के साथ हुआ।

मीरा रोड निवासी शेट्टी ने अपने ७० वर्षीय पिता भुजंगा शेट्टी को तबीयत नाजुक होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां २५ जनवरी की सुबह ३.१५ बजे उन्होंने अंतिम सांसें लीं। अस्पताल के कागजी खानापूर्ति के बाद शव को ९.५० बजे उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शेट्टी के निधन की खबर सुनकर करीब १५० रिश्तेदार और सगे-संबंधी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर जमा हुए थे। भुजंगा शेट्टी के पुत्र ने बताया कि जब उनकी मां के आग्रह पर मुख दर्शन के लिए मुंह पर से कफन हटाया तो वह

शव उनके पिता का नहीं था। आक्रोशित शेट्टी परिवार ने फोन कर भक्ति वेदांत अस्पताल को इसकी जानकारी दी। करीब १५ मिनट बाद अस्पताल से उनके पिता के शव को लाकर दिया गया। उसके बाद दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। अमूमन शवगृह के परिचारक किसी को भी शव देने से पूर्व उसकी शिनाख्त संबंधितों के परिजनों से कराकर ही उन्हें सौंपते हैं। भक्ति वेदांत के परिचारक अनंत शंकर सावंत ने ऐसा नहीं किया और न ही शव पर लगे लेबल से मिलान ही किया।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई : बोरीवली पुलिस ने 30 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे। घटना रविवार शाम की है, जब आरोपी पीड़िता को घर से बाइक पर बिठाकर गोराई ले गया, जहां उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

'मंदिर गई, अब सामाजिक छुआछूत की शिकार'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमला मसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मंदिर में प्रवेश करने वाली बिंदु और कनकदुर्गा की आवाज भी उठी और उनकी ओर से पेश सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने मार्मिक तकरीर पेश करते हुए कहा, 'इन्हें (दोनों महिलाओं को) सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मंदिर में दाखिल हुई थीं, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। इससे यह लगता है कि मासिक धर्म वाली महिलाएं अशुद्ध और प्रदूषित हैं। यह दुखद है।' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने २८ सितंबर, २०१८ को अपने ऐतिहासिक फैसले में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमला मंदिर के पट हर उम्र की महिलाओं के लिए खोल दिए थे। इस आदेश के बाद कुल ६४ याचिकाएं कोर्ट के सामने आईं, जिनमें फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए ५६ याचिकाएं थीं। इंदिरा जयसिंह ने कहा, 'बिंदु की मां को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये दोनों सामाजिक बहिष्कार की शिकार हैं। इन दोनों महिलाओं को छुआछूत का शिकार होना पड़ा है क्योंकि इनके प्रवेश के बाद मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। भगवान अयप्पा महिला और पुरुष में भेद नहीं करते। भगवान की नजर में कोई विभेद नहीं है।' इंदिरा जयसिंह समेत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस पर आदेश में सुनाया जाएगा। सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं का केरल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। राज्य की तरफ से कहा गया कि इनमें से किसी भी याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके बिना पर २८ सितंबर, २०१८ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत हो। केरल सरकार के वकील ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिव्यू का कोई आधार नहीं है। इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया है।' वहीं, विजय हंसारिया ने कहा कि रिव्यू अर्जी के जरिए दोबारा मामले को खोलने की कोशिश की जा रही है। एक तय उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करना हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। रिव्यू पिटिशन का हम विरोध करते हैं।

संक्षिप्त न्यूज

नालासोपारा में शनि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन

नालासोपारा: श्री शनि महात्मा पूजा समिति,नालासोपारा के तत्वावधान में नालासोपारा (पश्चिम) स्थित ऐतिहासिक शनि मंदिर में नौ दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। यह समारोह 1 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान यहां देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग एक लाख से अधिक शनि भक्तों के सम्मिलित होने की संभावना है। अस्टबंधा ब्रह्म कलश उत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में नौ दिनों तक पंडितों द्वारा भगवान शनि, देवी दुर्गा और गजानन गणपति के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह जानकारी मंदिर प्रबंधन से जुड़े श्रीधर पुजारी ने दी। है। महाभंडारा का आयोजन कर समारोह का समापन होगा। भव्य शनि मंदिर नालासोपारा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

सड़क हादसे में दंपती की मौत

मुंबई: विक्रोली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने एवं गैरइरादतन हत्या करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, पूर्व द्रुतगति मार्ग पर 2 फरवरी को अक्षय गुप्ता (35) पत्नी आरती गुप्ता (33) के साथ बाइक से आ रहा था। उस दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने गुप्ता की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की जांच जारी है।

महिला वकीलों ने लगाया पुलिस पर बदसलूकी का आरोप

मुंबई: भांडुप पुलिस के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ महिला वकीलों ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। उनकी बेटियों के साथ बदतमीजी की है। उन्हें जातिसूचक शब्द कहे हैं। इस घटना की जब वह लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो उस मोबाइल को पुलिसवालों ने जबरन छीन लिया। इसके बाद पीड़ित ने मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर मुंबई पुलिस से मदद मांगी। हालांकि, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं।

मीरा-भाईंदर कांग्रेस में अंकुश जिलाध्यक्ष नियुक्त

मीरा-भाईंदर: आने वाले चुनावों को देखते हुए मीरा-भाईंदर कांग्रेस ने अंकुश मालुसरे को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, वहीं रविन्द्र उपाध्याय को कांग्रेस सेवादल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंकुश ने मराठा आंदोलन के समय बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। वह राकांपा के यूथ विंग के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं, रविंद्र 22 साल से कांग्रेस के सदस्य हैं। रविन्द्र की नियुक्ति पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन की अनुसंशा पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने की है। इसके अलावा, पार्टी में और भी फेरबदल किए गए हैं।

नालासोपारा में हिंदू धर्म जागृति सभा

नालासोपारा: पाटणकर पार्क के पास रविवार को हिंदू गोवंश रक्षा समिति की ओर से हिंदू धर्म जागृति सभा आयोजित की गई। देर शाम तक चली इस सभा में राष्ट्र धर्म, गोमाता तथा नारी रक्षा के साथ हिंदू धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा में हिंदू विधीज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव ऐड. संजीव पुनालेकर, सनातन संस्था की प्रवक्ता नयना भगत, हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता नरेंद्र सुर्वे मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। सभा का संचालन हिंदू गोवंश रक्षा समिति के दिप्तेश पाटील ने किया। सभा में भाजपा नेता राजन नाईक, शिवसेना नेता शिरीष चव्हाण सहित कई लोग उपस्थित थे।

मोदी सरकार जनता से गद्दारी कर रही हैः अन्ना

मुंबई: पिछले छह दिन से अनशन पर बैठे 81 साल के अन्ना हजारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बेहद नाराज हैं। अन्ना ने सोमवार को कहा, 'भाजपा ने मेरा इस्तेमाल किया है। सारा देश इस बात को जानता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसी की वजह से आज मोदी सरकार सत्ता में है। इस आंदोलन के कारण ही जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। अब उसी जनता के साथ मोदी सरकार गद्दारी कर रही है।' अन्ना ने कहा, 'जनता का विरोध सहकर भी मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की थी, लेकिन कई बार लोकायुक्त की नियुक्ति का आग्रह करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो वह मेरे मन से उतर गए हैं।'

डॉ. आनंद तेलतुंबडे की रिहाई की मांग को लेकर आमसभा

मुंबई: दलित शिक्षाविद् आनंद तेलतुंबडे की रिहाई की मांग को लेकर एक आमसभा का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों हुई डॉ. आनंद की गिरफ्तारी का साहित्यकारों, पत्रकारों और बौद्धिक जनों ने प्रखर विरोध किया है। कोर्ट के आदेश देने के बावजूद अभी तक उनकी रिहाई सुनिश्चित नहीं हुई है। इसी के निषेध के लिए 6 फरवरी शाम 6 बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता लेन, दादर (पू.) में एक सभा आयोजित की गई है। इस सभा में प्रमुख वक्ता होंगे डॉ. जीजी पारिख, डॉ. प्रज्ञा दया पवार, निखिल वागले, हसन कमाल, तीस्ता सीतलवाड, कॉ. महेंद्र सिंह, जेवी पवार और कॉ. प्रकाश रेड्डी।

मुद्रक, प्रकाशक - मंजू दीनानाथ तिवारी, स्वामी एवं संपादक- दीनानाथ एम. तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस गाला नं.3-4, अमीन इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सोनावाला क्रॉस रोड नं.2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 63 से मुद्रित तथा जय बजरंगबली चाल कमेटी, गांधी नगर, कुरार विलेज, मालाड (पूर्व), मुंबई-97 से प्रकाशित। संपादक- दीनानाथ एम. तिवारी Mob. : 9004162915 / 70391 43986
RNI.No.:MAHHIN/2009/35355 संपर्क : टेलीफैक्स 022-29656280, मो. 9821287905, 9322248353-9167009629 Email : metrodinank@gmail.com